न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) सांचौर, जिला–सांचौर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार(आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 262/2014

जी.सी.एम.एस. :– 2013/00117

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. मांगीलाल गोदपुत्र हीराराम 2 धुड़ा वल्द पेमाराम के कायम मुकाम 2/1 आसुराम पुत्र धुड़ाराम 2/2 पुनमाराम पुत्र धुड़ाराम जाति–बिश्नोई, निवासीगण–जैसला, तहसील–सांचौर जिला–सांचौर	बनाम	1 छोगी देवी पत्नी मानाराम 2 केली देवी पत्नी केसाराम जाति–बिश्नोई निवासीगण–जैसला तहसील–सांचौर 3. तहसीलदार सांचौर 4 व्यवस्थापक, एस.बी.जे. शाखा बिछावाड़ी, तहसील–सांचौर

राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 सपठित रेकर्ड दुरस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधि. 1955

तारीख रजू :– 28.10.2013

उपस्थिति :–

1. श्री जालाराम पुनिया, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री बाबुलाल गोदारा, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

:– संशोधित निर्णय :– **दिनांक :– 18.07.2024**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, सहपठित प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 का इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा जैसला, पटवार क्षेत्र–अचलपुर, तहसील–सांचौर के पुराना खसरा संख्या 24 रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 31 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 37 रकबा 29 बीघा 05 बिस्वा कुल रकबा 45 बीघा 8 बिस्वा की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की पुश्तैनी कृषि भूमि आई हुई है, जिसके द्वितीय सेटलमेंट के दौरान नवीन खसरा संख्या 37 रकबा 0.22 हैक्टैयर, खसरा संख्या 38 रकबा 2.30 हैक्टैयर, खसरा संख्या 59 रकबा 2.59 हैक्टैयर एवं खसरा संख्या 60 रकबा 2.30 हैक्टैयर सूजित हुए। उपर्युक्त भूमि प्रथम सेटलमेंट में वादीगण के पूर्व पुरूष पेमाराम पुत्र अणदाराम की खातेदारी में दर्ज थी, जो खतौनी बंदोबस्त संवत् 2012 से 2031 से स्पष्ट है। पेमा के फौत होने पर पेमा के वारिसान हीरा, धुड़ा एवं भाखरा के नाम नामान्तरकरण संख्या 27 के जरिए दर्ज हुई, जो जमाबंदी संवत् 2032 से 2035 से स्पष्ट है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में पेमा के तीनों वारिसों भाखरा, हीरा व धुड़ा का 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा प्रत्येक का बनता है। इसी प्रकार सभी भाई मौके पर बाहमी बंटवाड़ा कर शांतिपूर्ण काबिज काश्त थे। स्वर्गीय भाखरा ने अपना हिस्सा पुराने खसरा संख्या 14, 31 एवं 37 कुल रकबा 45 बीघा 08 बिस्वा में से तीसरा हिस्सा अर्थात् 15 बीघा 02 बिस्वा भूमि जरिये पंजीयन दस्तावेज दिनांक 23.07.79 को बेचान कर दिया। उक्त बेचान दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 34 दिनांक 20.08.1982 से 1/3 हिस्सा खमुराम के नाम अमलदरामद किया गया, जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.24 10:20:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

जमाबंदी संवत् 2036 से 2039 से स्पष्ट है। इस प्रकार खमुराम को 1/3 भूमि का बेचान करने पर भी द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों ने अपने अधिकारों एवं कानुनी प्रावधानों से परे जाकर 2/3 हिस्सा खमुराम के नाम दर्ज कर दिया। द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों ने इसी प्रकार 2/3 हिस्सा अलग कर खमुराम के नाम दर्ज कर बंटवाड़ा पारित कर दिया, जबकि वादी संख्या 01 के पिता हीरालाल इस समय जीवित थे, परन्तु बिना उनकी सहमति/अंगुष्ठ निशान लिए बिना बंटवाड़ा पारित कर दिया, जो शुरू से ही गैर कानुनी एवं शून्य है। खमूराम को अपना खरीदशुदा 1/3 हिस्सा बेचान करने का अधिकार था, परन्तु उसने गलत इन्द्राज कर लाभ उठाकर अपने हिस्से से अधिक 2/3 हिस्सा बेचान कर दिया, जो प्रारम्भ से ही प्रभावहीन एवं शून्य है। अतएव वादीगण को ग्राम जैसला के पुराना खसरा संख्या 31 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 24 रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 37 रकबा 29 बीघा 05 बिस्वा कुल रकबा 45 बीघा 08 बिस्वा के नवीन खसरा संख्या 37,38 एवं 60 कुल रकबा 4.66 हैक्टेयर में वादीगण प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाते हुए स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है, अतएव निवेदन है कि डिक्री इसी कदर फरमावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 एवं 2 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा जैसला पटवार क्षैत्र अचलपुर, तहसील–सांचौर के खसरा संख्या 24 रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 31 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 37 रकबा 29 बीघा 05 बिस्वा कुल रकबा 45 बीघा 08 बिस्वा भूमि आई हुई है, जिसके द्वितीय भू–प्रबंध कार्यवाही के पश्चात् नवीन खसरा संख्या 38 रकबा 2.30 हैक्टेयर, खसरा संख्या 60 रकबा 2.14 हैक्टेयर, खसरा संख्या 47 रकबा 0.32 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 59 रकबा 2.59 हैक्टेयर नवसृजित हुए। जो मिलान क्षैत्रफल से स्पष्ट है। उक्त भूमि पेमा पुत्र अणदा की थी तथा पेमा के फौत होने पर भाखरा, हीरा व धुड़ा के नाम दर्ज हुई। भाखरा, धुड़ा एवं हीरा ने अपने हिस्से की उक्त भूमि में से खसरा नंबर 24 रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा संपूर्ण, खसरा संख्या 31 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा संपूर्ण व खसरा संख्या 37 रकबा 29 बीघा 05 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा अर्थात् 09 बीघा 02 बिस्वा कुल 25 बीघा भूमि बेचान कर दिया। उक्त रजिस्ट्री भाखरा ने अपने हिस्से [illegible] दित करवाई तथा हीरा व धुड़ा के भी हस्ताक्षर उक्त रजिस्ट्री पर है। आपसी [illegible] 21.12.1987 को पारिवारिक बंटवाड़ा सहायक–भू–प्रबंध अधिकारी, जोधपुर द्वारा [illegible] कर नवसृजित खसरा संख्या 38, 47 व 60 संपूर्ण खमुराम वल्द जगरूपाराम, कौम–[illegible]ई, एवं नवसृजित खसरा संख्या 59 मांगीलाल पुत्र धुड़ा व धुड़ा पुत्र पेमाराम के हिस्से में रखा। उक्त बंटवाड़ा पर खमुराम व धुड़ा के अंगुष्ठ निशान/हस्ताक्षर है। अतः खमुराम के हिस्से में दर्ज भूमि आपसी सहमति व दस्तावेज के आधार पर पारित बंटवाड़ा के द्वारा की गई है, जिसमें किसी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि नहीं है। खमुराम ने उक्त भूमि में से खसरा नंबर 38 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.24 10:20:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक क[illegible] एवं [illegible] मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

2.30 हैक्टेयर, एवं खसरा नंबर 60 रकबा 2.14 हैक्टेयर, भूमि प्रतिवादीगण छोगीदेवी व केलीदेवी को बेचान की तथा खसरा नंबर 47 रकबा 0.32 हैक्टेयर आसुराम पुत्र धुड़ाराम को बेचान की गई। इसी अनुसार हम शांतिपूर्ण रूप से वर्तमान में काबिज–काश्त है। वादीगण द्वारा खसरा नंबर 47 रकबा 0.32 हैक्टेयर के खरीदकर्ता आसुराम वल्द धुड़ाराम को पक्षकार ही संयोजित नहीं किया है, अतः वाद काबिले खारिज है। वादीगण का वाद बाबत् खातेदारी घोषणा एवं रेकर्ड दुरस्ती का मिथ्या कथनों पर आधारित है, अतः सारी इबारत बेबुनियाद एवं आधारहीन होने से मय हर्जा खर्चा खारिज फरमावें।

प्रकरण में विवाधक विरचित किये जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया। साक्ष्यवादी एवं जिरह पूर्ण की गई। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य शपथ–पत्र पेश किए गए। साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण में कोई प्रार्थना–पत्र निस्तारण से शेष नहीं है। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर न्यायिक दृष्टान्तों एवं विधिक प्रावधानों के आलोक में मनन किया गया। प्रकरण का विवाधकवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है :–

तनकी संख्या 01 :– आया वादीगण ग्राम जैसला के नवीन खसरा संख्या 37, 38, 60 जुमले रकबा 4.66 हैक्टेयर में वादीगण प्रत्येक का 1/3 हिस्सा मालिकाना हक–हकूक व कब्जा काश्त का होने से वादीगण खातेदारी घोषणा डिक्री पाने के हकदार है। इस तनकी को सिद्व करने का जिम्मा वादीगण का था उक्त तनकी का निर्णयन निम्नानुसार है –

वादीगण द्वारा वादपत्र में कथन किया है कि ग्राम जैसला में स्थित वादग्रस्त आराजी पुराना खसरा संख्या 24 रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 31 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा व खसरा संख्या 37 रकबा 29 बीघा 05 बिस्वा कुल रकबा 45 बीघा 08 बिस्वा एवं उनके सृजित नवीन खसरा संख्या 37 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा संख्या 38 रकबा 2.30 हैक्टेयर, खसरा संख्या 60 रकबा 2.14 हैक्टेयर जुमले रकबा 4.66 हैक्टेयर में से भाखरा ने अपने हिस्से की 1/3 भूमि खमुराम पुत्र जगरूपाराम को बेचान कर दी तथा नामान्तरकरण संख्या 34 द्वारा 1/3 हिस्से की खातेदारी खमुराम के नाम अमल दरामद हुई। जो सलंग्न जमाबंदी संवत् 2036 से 2039 द्वारा साबित है। द्वितीय सेटलमेंट के अधिकारियों ने मांगीलाल के गोद पिता हीरालाल के अंगुष्ठ निशान लिए बिना उनके सहमति के बिना बंटवाड़ा किया एवं गैर कानुनी रूप से खमुराम पुत्र जगरूपाराम का 1/3 से बढ़ाकर 2/3 हिस्सा दर्ज कर दिया। प्रतिवादीगण द्वारा बेचान इकरारनामा कर [illegible] धुड़ा के अंगुष्ठ निशानों के आधार पर 2/3 हिस्सा व सहमति से बंटवाड़ा होना बताया है। वादीगण द्वारा पीडब्ल्यू 1 धुड़ाराम पुत्र पेमाराम का साक्ष्य शपथ–पत्र, पी.डब[illegible] मांगीलाल गोद पुत्र हीराराम का शपथ–पत्र प्रदर्श जमाबंदी संवत् 2069–2072 ई–एक्स–पी 1 है, जमाबंदी संवत् 2069–2072 ई–एक्स–पी 2 है, ट्रैस नक्शा ई–एक्स–पी 3 है, जमाबंदी संवत् 2069–2072 ई–एक्स–पी 4 है, मिसल बंदोबस्त प्रथम ई–एक्स–पी 5 व 6 है, जमाबंदी संवत् 2032 से 2035 ई–एक्स–पी 7 है, जमाबंदी संवत् 2036 से 2039

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.24 10:20:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक [illegible] एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

ई–एक्स–पी 8 है, मिलान क्षैत्रफल ई–एक्स–पी 9 है, नामान्तरकरण संख्या 34 ग्राम जैसला का ई–एक्स–पी 10 है, जमाबंदी संवत् 2041–2044 ई–एक्स–पी 11 है, द्वितीय मिसल बंदोबस्त ई–एक्स–पी 12, 13 व 14 है, भू–प्रबंध अधिकारी जोधपुर को पारिवारिक पेश किया गया आवेदन बंटवाड़ा ई–एक्स–पी 15 है, बैचान दस्तावेज ग्राम जैसला का नामान्तरकरण ई–एक्स–पी 16, 17 है, गोदनामा व बैचान दस्तावेज की फोटो प्रति पेश की है जो ई–एक्स–पी 16ए है, पी डब्ल्यू 2 मांगीलाल गोदपुत्र हिराराम का शपथ–पत्र, प्रदर्श पंजिबद्व गोदनामा ई–एक्स–पी 17 है, तथा प्रदर्श फोटोप्रति 17ए है, हिराराम का मृत्यु प्रमाण–पत्र ई–एक्स–पी 18 व फोटोप्रति ई–एक्स–पी 18ए प्रस्तुत किये।

साक्ष्यवादी में वादी धुड़ाराम पुत्र पेमाराम ने दौराने जिरह कथन किया कि भाखरा द्वारा निष्पादित बेचाननामा पर मैंने अंगुष्ठ निशान नहीं किए, मैं अंगुष्ठ निशान नहीं करता हुं। बेचान दस्तावेज में अंगुष्ठ निशान फर्जी है। बंटवाड़े पर भी मेरे अंगुष्ठ निशान नहीं है। मैंने मेरे हिस्से की जमीन कभी खमूराम को नहीं बेची। वादी मांगीलाल पुत्र हीराराम ने दौराने जिरह कथन किया कि द्वितीय सेटलमेंट के समय हीराराम मौजूद थे। हीराराम ने कोई रजिस्ट्री कराई हो, मुझे पता नही है। वादग्रस्त भूमि पर हमारा कब्जा नहीं है, यह कहना गलत है। प्रदर्श 5 खतौनी बंदोबस्त से स्पष्ट है कि पुराने खसरा संख्या 24, 31, 37 पेमाराम पुत्र अणदाराम के दर्ज थे। प्रदर्श 7 जमाबंदी ग्राम जैसला संवत 2035–2037 के अनुसार नामान्तरकरण 27 से उक्त वादग्रस्त आराजी पेमा के पुत्रों धुड़ा, हीरा व भाखरा के संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। प्रदर्श 8 से स्पष्ट है कि नामान्तरकरण संख्या 34 दिनांक 20.08.1982 के द्वारा जरिए बेचान खमुराम पुत्र जगरूपाराम का हिस्सा वादग्रस्त आराजी में 1/3 का खातेदार दर्ज किया गया। प्रदर्श 9 से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 24 रकबा 14 बीघा 08 बिस्वा से नवसृजित खसरा संख्या 38 रकबा 2.30 हैक्टेयर खसरा संख्या 37 से नवसृजित खसरा संख्या 59 रकबा 2.59 हैक्टेयर व खसरा संख्या 60 रकबा 2.14 हैक्टेयर खसरा संख्या 23 से नवसृजित खसरा संख्या 37 रकबा 0.22 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 31 से नवसृजित खसरा संख्या 47 रकबा 0.32 हैक्टेयर बने। प्रदर्श 15 सहायक भू–प्रबंध एवं सहायक भू–अभिलेख अधिकारी जोधपुर द्वारा स्वीकृत बंटवाड़ा एवं प्रदर्श 16 उक्त बंटवाड़ा के अनुपालना में दर्ज नामान्तरकरण द्वारा खाता पृथक दर्ज किया गया।

इस प्रकार वादपत्र एवं प्रदर्श कर[illegible] के [illegible] तो स्पष्ट होता है कि वादीगण धुड़ाराम एवं मांगीलाल के गोद पिता [illegible]राम [illegible] अपने हिस्से की भूमि विक्रय नही की गई थी। भाखरा [illegible] भूमि विक्रय करने का अधिकार था, परन्तु उसने अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय किया, जो धुड़ाराम एवं हीराराम के गोदपुत्र मांगीलाल पर बाध्यकारी नहीं था। बेचान के पश्चात दर्ज नामान्तरकरण में भी खमूराम का 1/3 हिस्सा उक्त वादग्रस्त आराजी में दर्ज किया गया। प्रदर्श 15 बंटवाड़ा प्रस्ताव एवं आदेश पर मांगीलाल के गोद पिता हीराराम के अंगुष्ठ निशान नहीं है एवं वादी धुड़ाराम द्वारा वादी जिरह के दौरान अंगुष्ठ

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.24 10:20:43 IST
Reason: SelfAttested

निशान नहीं करके हस्ताक्षर करने का कथन किया है एवं ऐसे किसी बंटवाड़े के होने एवं अंगुष्ठ/हस्ताक्षर से मना किया है, जो इस बंटवाड़ा को संदिग्ध सिद्व करते है। हीराराम के जीवित होते हुए भी उसके गोदपुत्र को बिना विधिक प्रक्रिया से खातेदार दर्ज किया गया। भू–प्रबंध अधिकारियों को हिस्सों एवं खातेदारों में हेर–फेर या कमी–बेशी के अधिकार नहीं है। अतः उन्होंने अपने अधिकार क्षैत्रों से बाहर कार्य किया है, जो प्रभावहीन व शून्य है। अतः यह विवाधक भली प्रकार साबित करने में वादीगण पूर्णतया सफल रहे है, अतः तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

<u>उक्त तनकी संख्या 2</u> को सिद्व करने का जिम्मा भी वादीगण पर होने से वादीगण द्वारा पेश साक्ष्य पी.डब्ल्यू 1 धुड़ाराम, पी.डब्ल्यू 2 मांगीलाल ने अपने सहशपथ बयानों में बताया की वादग्रस्त आराजी पर कभी काश्तकब्जा नहीं रहा है। काश्तकब्जा वादीगण का चला आ रहा है। किन्तू प्रतिवादी द्वारा गलत इन्द्राज करवाने से प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर जबरन कब्जा करने की धमकियां देते है। ऐसी सुरत में वादीगण के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमावें।

<u>उक्त तनकी संख्या 02</u> के संबंध में प्रतिवादी की ओर से गवाह केलीदेवी, छोगी देवी, सुवटीदेवी के बयान लेखबद्व करवाये गये। उक्त गवाहान में भी उक्त वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त अपना होना जाहिर किया है, किन्तु उक्त आराजी पर मात्र कब्जा होना अपने बयानों में बताने से कब्जा साबित नहीं किया जा सकता है, जैसा की तनकी संख्या 01 में यह तय किया गया है कि बंटवाड़ा प्रदर्श 15 पर हीराराम के अंगुष्ठ निशान नहीं है तथा उक्त बंटवाड़ा करने का सेटलमेंट अधिकारियों को क्षैत्राधिकार नहीं था, तथा सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा क्षैत्राधिकार से परे जाकर उक्त बंटवाड़ा किया जाकर वादीगण की आराजी अवैध तरीके से प्रतिवादीगण के नाम ईन्द्राज की गई है, जब भाखरा को 1/3 हिस्से से अधिक भूमि बैचान करने का अधिकार नही था तो वहां कब्जा है या नहीं कानून की दृष्टि से शून्य होने से उक्त तनकी संख्या 2 भी वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.24 10:20:43 IST
Reason: SelfAttested

<u>तनकी संख्या 3</u> को सिद्व करने का जिम्मा भी वादीगण पर है। इस संबंध में [illegible] द्वारा बैचान दस्तावेज ई–एक्स–पी 16ए नामान्तरकरण संख्या, ई–एक्स–पी 16, 17 ई–एक्स–पी 15 बंटवाड़ा, ई–एक्स–पी 9 मिलान क्षैत्रफल पेश किया। बैचान दस्तावेज का नामान्तरकरण से यह स्पष्ट है कि भाखरा द्वारा उसका 1/3 हिस्सा ही बैचान किया जाना साबित है, तत्पश्चात् 1/3 हिस्से से अधिक 2/3 हिस्सा का ईन्द्राज हुआ है, वह सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा अपने क्षैत्राधिकार से परे जाकर किया जाना साबित

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रेक) सांचौर

होने से 1/3 हिस्सा की बजाय 2/3 का ईन्द्राज भी एक लिपीकीय भूल की बजाय संदिग्ध होने से तनकी संख्या 3 वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

उक्त तनकी संख्या 4 सिद्व करने का जिम्मा प्रतिवादीगण पर होने से इस संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से मात्र साक्ष्य के अलावा कोई कब्जा बाबत सबूत पेश नहीं किया जिससे यह माना जावे की उक्त वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी का काश्तकब्जा है।

उक्त तनकी संख्या 5 सिद्व करने का जिम्मा प्रतिवादीगण पर है। जिसका निर्णय तनकी संख्या 1 व 3 में दिया जा चुका है तथा तनकी संख्या 1 व 3 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है। अतः तनकी संख्या 5 प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 6 सिद्व करने का जिम्मा प्रतिवादीगण पर है, इस संबंध में प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा में उल्लेख किया है कि बैचान दस्तावेज दिनांक 23.07.79 पर हीरा व धुड़ा के हस्ताक्षर होने से वादीगण को वाद लाने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में वादीगण द्वारा प्रस्तुत बैचान दस्तावेज का अवलोकन करने से यह स्पष्ट पाया जाता है कि उक्त बैचान दस्तावेज से मात्र भाखरा द्वारा ही उसके 1/3 हिस्से का बैचान किया गया है। अतः तनकी संख्या 06 प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

फलतः तनकी संख्या 1, 2, 3 वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व व तनकी संख्या 4, 5, 6 प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित होने से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:— संशोधित आदेश :—

मौजा जैसला के खसरा संख्या 38 रकबा 2.30 हैक्टेयर, खसरा संख्या 59 रकबा 2.59 हैक्टेयर, खसरा संख्या 60 रकबा 2.14 हैक्टेयर भूमि में वादीगण मांगीलाल गोदपुत्र हीराराम का हिस्सा 1/3, धुड़ा वल्द पेमाराम के कायम मुकाम आसुराम पुत्र धुड़ाराम व पुनमाराम पुत्र धुड़ाराम का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादीगण छोगी देवी पत्नी मानाराम व केली देवी पत्नी केसाराम, जातियान–बिश्नोई का हिस्सा 1/3 को खातेदारी अधिकार दिये जाकर खातेदारी घोषित की जाती है। तदनुसार डिक्री प[illegible] हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.24 10:20:43 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट सांचौर
फास्ट ट्रेक सांचौर (सांचौर)
जिला सांचौर

निर्णय आज दिनांक 18.07.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट सांचौर
फास्ट ट्रेक सांचौर (सांचौर)
जिला सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं
फास्ट–ट्रेक सांचौर
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर